प्राक्कथन

1. यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राजस्थान के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

2. प्रतिवेदन के अध्याय I में राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार एवं दृष्टिकोण, प्रतिवेदन की संरचना, सरकारी लेखों की संरचना, बजटीय प्रक्रिया, प्रमुख राजकोषीय मापदण्ड, प्रवृतियाँ जैसे राजस्व आधिक्य/कमी, राजकोषीय आधिक्य/कमी आदि शामिल है।

3. प्रतिवेदन के अध्याय II और III में क्रमशः 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य सरकार के वित्त लेखों और विनियोग लेखों की जाँच में प्रकट होने वाले मामलों पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल है। राजस्थान सरकार से जहां भी आवश्यक हो, जानकारी प्राप्त की गई है।

4. अध्याय IV 'लेखों की गुणवत्ता तथा वित्तीय रिर्पोटिंग' पर वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा निर्देशों की अनुपालना की स्थिति का विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।

5. निष्पादन लेखापरीक्षा तथा विभिन्न सरकारी विभागों में संवितरणों की लेखा परीक्षा के निष्कर्ष, सांविधिक निगमों, बोर्ड और सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा में प्रकट हुये आक्षेपों और राजस्व प्राप्तियों पर टिप्पणियों को पृथक से प्रस्तुत किया जाता है।